

// निर्णय //

(आज दिनांक 20/7/17 को घोषित)

157  
16/196  
157

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 129/177, 132/177, 509/177, 141/177 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी नरेश पाल को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 129/177, 132/177, 509/177, 141/177 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं कमशः राशि रुपये 2600/- कुल रु0 (.....) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।

04. जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन बैरू ए.ए. को

उक्त नं. 1022 PLEJ 57385 को उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

मेरे निर्देशन पर टंकित

  
A.K. Gupta

Judicial magistrate first class,  
Gohad Dist. Bhind (M.P)